Act No. 30 of 2013

2013 का विधेयक संख्यांक 4

ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

2. धारा 41 का संशोधन ।

ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 है ।

(2) यह 29 अप्रैल, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 41 का संशोधन ।

2009 का 3

2. ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "पच्चीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पचास वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है ।

अध्यक्ष।

अध्यक्ष
हिमाचल प्रदेश
विधान सभा, शिमला

शिमला–171004.

दिनांक : 29-4-2013

मैं इस विधेयक पर अनुमति देता हूँ

राज्यपाल

राज्यपाल।

शिमला–171002.

दिनांक 28 – 7 –2013

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 4 OF 2013

THE ETERNAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013

(PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE ETERNAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 41.

BILL NO. 4 OF 2013

THE ETERNAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013

(PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Eternal University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (Act No. 3 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Eternal University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on 29th day of April, 2008.

Amendment of section 41.

2. In section 41 of the Eternal University (Establishment and Regulation) Act, 2008, in sub-section (2), in the proviso, for the words "twenty five years", the words "fifty years" shall be substituted.

3 of 2009

मैं, "ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 4)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूँ ।

उर्मिला सिंह
राज्यपाल
हिमाचल प्रदेश

राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश ।

राज्यपाल ने "ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 4)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।

चिराग भानु सिंह
सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।